न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—114 / 2016 / 225 (2016 / 00114)

1. रतनलाल पुत्र कल्याण, जाति माली, निवासी मुंगीथला, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. रामअवतार पुत्र रामचंद्र,
2. गोरादेवी पत्नि रामअवतार,
3. भंवरलाल पुत्र मोगारामी,
   समस्त जाति मीणा, नि0 सेवा, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
4. तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),दूदू, जिला जयपुर दिनांक 23.2.2016 अंतर्गत प्रकरण संख्या 93 / 2015.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांट ।
2. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री दीपक पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 2
4. रेस्पो0 संख्या 3 अनुपस्थित ।
5. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 4.

निर्णय

दिनांकः— 14.2.2020

1. यह अपील विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के आदेश दिनांक 23.2.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट / प्रार्थी ने अधी0न्याया0 में वाद के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 144 के खसरा नंबर 24, 70, 72, 73 कुल किता 4 कुलरकबा 5.52 है0 वाके ग्राम मूंगीथला, तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जिसके तकासमा नामांतकरण संख्या 168 दिनांक 1.2.2013 के द्वारा खसरा नंबर 72 रकबा 1.015 है0, खसरा नंबर 24 रकबा 0.25 है0, खसरा नंबर 72 रकबा 1.26 है0 व खसरा नंबर 73 रकबा 0.1000 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 2.76 है0 पर प्रार्थी अपने दर्ज हिस्से जमाबंदी अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है मौके पर बहैसियत सहखातेदार काबिज काश्त है । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का उक्त भूमि से कोई संबंध नहीं है । वर्तमान में राजस्व रिकार्ड अनुरूप प्रार्थी का भाई हनुमान व प्रार्थी मौके पर संयुक्त रूप से काबिज काश्त है । अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का उपरोक्त आराजी से कोई

संबंध नहीं है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 से 3 अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य होने एवं राजनीतिक पहुंच एवं बाहुबली होने से प्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण ने विवादित आराजियात पर प्रार्थी को धमकी दी कि आराजियात में जबरन रास्ता डालकर फसल को नुकसान पहुंचायेंगे एवं कब्जे से बेदखल करेंगे । इस कारण यह वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 23.2.2016 द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 में अपीलांट ने यह अनुतोष चाहा था कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में अप्रार्थीगण किसी प्रकार हक व हिस्से, कब्जे काश्त उपयोग उपभोग व कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं करे । चूंकि अपीलांटस विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर फसल काश्त कर रहा है । रेस्पो0 का विवादित आराजियात में किसी प्रकार का दखल पूर्व में नहीं रहा है एवं वर्तमान में भी नहीं है । धारा 188 राज0काश्त0अधि0 के मूलभूत सिद्धांत एवं अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक प्रावधान प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में साबित है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह पूर्णतया साबित किया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने बिना किसी आधार के खसरा संख्या 1810 व 1811 में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नंबर 73 में वर्णित होना अपने विवेचन में अंकित किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के विपरीत है क्योंकि अपीलांट के विवादित भूमि में से न तो किसी प्रकोर रास्ता पूर्व में अवस्थित था न ही वर्तमान में है । राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में भी किसी प्रकार के रास्ते का अंकन नहीं है । अप्रार्थीगण कदीमी रास्ते से नहीं आकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि एवं काश्त को नुकसान पहंचाने के उद्देश्य से प्रार्थी का नाडा जिसमें बरसात का पानी एकत्रित होता है में से जबरन कब्जा करना चाहता है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दू को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है । आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 में खसरा नंबर 24, 70, 72, 73 कुल किता 4 कुल रकबा 5.52 है0 बाबत् अनुतोष चाहा था परन्तु अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में खसरा नंबर 73 में से आने–जाने के लिये रास्ता होने का विवेचन करते हुए अन्य खातेदारी भूमि खसरा नंबर 24, 70 व 72 के बाबत् भी अनुतोष खारिज कर दिया जो गलत निर्णय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय निरस्त किया जावे तथा रेस्पो0 को वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 24, 70, 72, 73 में अपीलांट के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से मजाहमत उत्पन्न नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 की आराजी खसरा संख्या 1810 व 1811 में आने जाने का एकमात्र रास्ता खसरा नंबर 73 से होकर जाता है जो प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । अपीलांट ने

रेस्पो0 को उसकी खातेदारी की आराजी में आवागमन के रास्ते में व्यवधान उत्पन्न करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से खारिज किया है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजियात खसरा नंबर 24, 70, 72, 73 कुल किता 4 कुल रकबा 5.52 है0 का खातेदार काश्तकार है जिसके संबंध में अपीलांट ने अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का अनुतोष चाहा है । इसके विपरीत रेस्पो0 का कथन रहा है कि रेस्पो0 अपनी खातेदारी आराजी खसरा नंबर 1810 व 1811 में आने जाने का एकमात्र रास्ता खसरा नंबर 73 से होकर जाता है जिसका वह कदीम समय से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। विवादित आराजियात के संबंध में मूल वाद अधी0न्याया0 के समक्ष विचाराधीन है । रेस्पो0 विवादित आराजी खसरा नंबर 73 में कदीमी समय से आवागमन हेतु रास्ते का उपयोग करते रहे है अथवा नहीं इसका निस्तारण बाद साक्ष्य वाद में तय होगा किन्तु वर्तमान में अपीलांटस विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जो अपनी भूमि की सुरक्षा हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है । प्रकरण की परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए हम उभयपक्ष को विवादित आराजी की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना उचित समझते है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश निरस्त योग्य पाया जाता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.2.2016 को निरस्त किया जाता है तथा ताफैसला मूल वाद उभयपक्षकारान को इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजियात के मौके की यथास्थिति बनाये रखे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 14.2.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर